Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2019

इन्द्राज पुत्र श्री मल्लुराम जाति जाट आयु 64 वर्ष वार्ड नम्बर 10 ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा दिनांक 09.12.2016, प्र. सं. 45/2016

श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 07.02.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 30.11.2016 द्वारा रास्तों पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के आधार पर अतिक्रमण के रास्तों बाबत रिपोर्ट मांगने पर पटवारी हल्का द्वारा चक 5 टीकेडब्ल्यू के प. नं. 6/224 व 7/224 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने बाबत दिनांक 30.11.2016 को रिपोर्ट पेश की, जिस पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की, जिस पर उक्त बीघों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09.12.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त बीघों में रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने के कारण काबिल खारिज है। रास्ता मंजूर करने से पूर्व नियम 69 राजस्थान काश्तकारी नियम के आज्ञापक प्रावधान के मुताबिक मौका निरिक्षक उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू– अभिलेख निरिक्षक के स्तर के अधिकारी से सम्बन्धित खातेदार की मौजूदगी में नक्शा तैयार कर मौका निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में केवल पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। खातेदार काश्तकार की आराजी बाबत कोई भी निर्णय करने से पूर्व सम्बन्धित खातेदार कश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रश्गनत रास्ता कभी चालू नही रहा है। पत्थर नं. 7/224 के किला नं. 23 में अपीलाण्ट का सन 2003 से कुआ लगा हुआ है तथा किला नम्बर 21, 22 में ढाणी बनी हुई जिस पर विद्युत कनैक्शन है फसल खड़ी है, रास्ता चालू नहीं है। मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। रास्ते की आवश्यकता बाबत मांग करने के उपरान्त कानूनन रास्ता स्वीकृत होना चाहिए। अपीलाण्ट प्रकरण में पक्षकार नहीं था इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 30.11.2016 द्वारा रास्तों पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के आधार पर अतिक्रमण के रास्तों बाबत रिपोर्ट मांगने पर पटवारी हल्का द्वारा चक 5 टीकेडब्ल्यू के प. नं. 6/224 व 7/224 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने बाबत दिनांक 30.11.2016 को रिपोर्ट पेश की, जिस पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की, जिस पर उक्त बीघों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09.12.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त बीघों में रास्ता स्वीकृत

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलाण्ट प्रकरण में पक्षकार नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

8. जहां तक गुणागुवण का प्रश्न है। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 30.11.2016 द्वारा रास्तों पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के आधार पर अतिक्रमण के रास्तों बाबत रिपोर्ट मांगने पर पटवारी हल्का द्वारा चक 5 टीकेडब्ल्यू के प. नं. 6/224 व 7/224 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने बाबत दिनांक 30.11.2016 को रिपोर्ट पेश की, जिस पर तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा दिनांक 30.11.2016 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की, जिस पर उक्त बीघों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 09.12.2016 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त बीघों में रास्ता स्वीकृत किया गया। रास्ता मंजूर करने से पूर्व नियम 69 राजस्थान काश्तकारी नियम के आज्ञापक प्रावधान के मुताबिक मौका निरिक्षक उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू– अभिलेख निरिक्षक के स्तर के अधिकारी से सम्बन्धित खातेदार की मौजूदगी में नक्शा तैयार कर मौका निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में केवल पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। किसी पक्ष के द्वारा प्रार्थना–पत्र देने के उपरान्त तथा रास्ते की आवश्यकता बाबत मांग करने के उपरान्त कानूनन रास्ता स्वीकृत होना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति या पक्षकार द्वारा रास्ते बाबत कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया तथा स्वीकृत किये गये रास्ते की किसी भी पक्षकार को कोई आवश्यकता हो ऐसा तथ्य भी सामने नहीं आया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है जिस पर रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:59:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह एक आवश्यक पक्षकार था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.12.2016 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7/2/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़